Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाडा में ग्राम विकास अधिकारी तथा विधालय सहायक 18 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जुलाई गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाडा–प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गणराज, हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा तथा शैतान तैली पूर्व पंचायत सहायक, हाल विधालय सहायक ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा को परिवादी से **18 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाडा–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिताजी के नाम स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त की जिओ टेगिंग करने की एवज में शैतान तैली पूर्व पंचायत सहायक, हाल विधालय सहायक द्वारा श्री गणराज, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरोदा के लिए **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस, श्री रणधीर सिंह** के सुपरविजन में एसीबी की भीलवाडा–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री नरसीलाल पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए गणराज, हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा तथा शैतान तैली पूर्व पंचायत सहायक, हाल विधालय सहायक ग्राम पंचायत बरोदा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा को परिवादी से **18 हजार रुपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपीयान के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।